न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

47
17.9.20

–: आदेश :–

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एव तहसीलदार कोलायत के पत्रांकः भू.अ./1342 दिनांक 27.08.2020 की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गंगापुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 में खाता संख्या 166 व ग्राम चक नम्बर 8 तहसील कोलायत जिला बीकनेर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 में खात संख्या 16 में वर्तमान में प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जाना है)
1	गंगापुरा	166	पुनमराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी गंगापुरा	पुनमचन्द पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार निवासी गंगापुरा
2	चक नम्बर 8	16	पुनाराम पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार निवासी गोविन्दसर	पुनमचन्द पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार निवासी गोविन्दसर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

क्रमांक :– सम/367-370
दिनांक :– 15.9.2020

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार कोलायत को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री पुनमचन्द पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार निवासी गंगापुरा को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी श्री पुनमचन्द पुत्र मुलाराम जाति कुम्हार निवासी गोविन्दसर को सूचनार्थ।
4. रक्षितं पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

Scanned with CamScanner

APP.A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी कोलायत मुकाम ....

धापू देवी .... बनाम .... गोमती देवी

मुकदमा .... नं. 49 सन् 20

धारा 136 R.L.A

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9.2020	प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड दुरस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यालय तहसीलदार (ग्र.35) कोलायत से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जावे। प्रार्थीनी की तरफ से वकीलान किशोर स्वरूप द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया आईन्दा जवाब दिनांक 24.9.2020 को पेश। [signature] उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	
24.9.2020	अभि वकुलाय ? अदालती कार्य स्थगित कर रखा है पिशल वास्ते जवाब 21.1.2021 को पेश हो [stamp] उपखण्ड अधिकारी कोलायत	
21.1.2021	पत्रावली आज पेश हुई। पिशल वास्ते जवाब हेतु दिनांक 4.2.2021 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
[illegible]	पत्रावली पेश हुई ग्राम गंगापुरा के ख.न. 229/1

पत्रावली पेश हुई ग्राम गंगापुरा के ख.न. 229/1, धापू देवी पत्नि भानाराम, गोमती देवी पत्नि भगवानाराम, कोल कुम्हार सा. गंगापुरा ने दिनांक 7.7.2005 इकरारनामा, विक्रय 152 में एक 1.0 दस्तावेज 20050053 पंजीकृत उपपंजीयक 131 कुल रकबा 1.0 बीघा भूमि व हिस्सा बेचान के 1.0 बीघा, परन्तु उपनिबंधक बराबर कुल की थी, परन्तु उपनिवेशन विभाग नामान्तरकरण नं. 1272 में केवल गोमती देवी पत्नि भगवानाराम कुम्हार सा. गंगापुरा के नाम का ही अमल किया गया था जबकि विक्रय विलेख के मुताबिक दोनों क्रेताओं का नाम होना चाहिये सम्बन्धित वर्तमान था जिस की दुरुस्ती प्रार्थीया वर्तमान रिकार्ड में करवानी चाहती है, पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम गंगापुरा की रोही ख.नं. 229/1 रकबा 24.05 बीघा नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुरारी राम के नाम खातेदारी भूमि थी जो श्रीमती गोमती देवी बैनामा दिनांक 7.7.2005 से पत्नि भगवानाराम व धापू देवी पत्नि भानाराम जाति कुम्हार निवासी गंगापुरा को व हिस्सा बराबर 1.0 बीघा विक्रय की गई है जबकि नामान्तरकरण संख्या 1272 में सिर्फ गोमती देवी का नाम दर्ज है व धापू देवी का नाम दर्ज नहीं है जो सेहवन से छूटा गया प्रतीत होता है अतः तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को निर्देश दिये जाते हैं नियमानुसार दुरुस्ती की कार्यवाही करें।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned with CamScanner